

loyraent only in fifteea years. Therefore, difference in growth rate makes all the difference. If one were to say that the most pressing problem today is unemployment, then I would say that the earlier you can get rid of unemployment the better. Therefore a growth rate of Jen per cent will be feasible Of course, if you can achieve a fifteen per cent growth rate, you can wipe out unemployment within a period of five years. But a fifteen per cent growth rate may not be possible. Bui there are some States like, for example, Haryana, and for a small period, even Gujarat, which have achieved very high growth rates. I do not know when the Planning Minister was the Chief Minister of Gujarat, what growth. rate was achieved by Gujarat. But I would like, to point out to everybody, to all persons in the country, that Surat is one city which has no unemployment. Why is it so? There is something to be learnt from what is happening in Surat. The same idea, the lesson that I have learnt from Surat, I am trying to bring in here.

The question is, what does the experience of forty years of planning suggest? Of course, we have made progress. I am not one of those who would say that we have not made any progress at all. We have made progress sufficient progress of which we can be some what proud. But considering the potential of the country, considering the urgency of the problems in the country, the progress we have made is pitiful. After all, what is it that we are lacking? The people of India; are they somewhat inferior? No. if we look at the history of India, we will know that India was one of the most developed countries in the world till about 250 years ago; people from all over the world came to India to learn, to buy things, to look at our wonders to learn how cloth was made, how spices were produced, to know about technology and so on. Sir, recently I was studying a book on rocketry. I found fliat the knowledge in regard to rocketry, the modern principles of rocketry, was first made available in India after that famous battle was fought with Tippu Sul-taa The rockets that were let loose against the British forces were then taken

to England, given to the scientists and they were asked to study, to redo the rocket and improve upon it. Therefore, India has been a developed country. We were a developed country till about 250 years ago. But suddenly, we have become an underdeveloped country. Now you can say that this is because of British imperialism and all that. I agree. But now we want to improve. We want to become a developed country. How can we do that? This is the key question. Sir, since it is now 5 p.m., I think ; I will stop here.

"THE VICE-CHAIRMAN (SHRI B. SATYANARAYAN REDDY): Still there is one minute.

SHRI SUBRAMANIAN SWAMY: In addiiton, we should look around the world. What is happening in China? What is happening in Russia?

What is happening in Russia?

My Communist friends are little em-
barrassed here.

5.00 P.M.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI B. SATYANARAYAN REDDY): It is 5.00 now. You can continue next time. Now we will take up Half-an-Hour Discussion.

Mr. Malaviya will raise the discussion.

HALF-AN-HOUR DISCUSSION ON
POINTS ARISING OUT OF THE ANSWER
GIVEN IN THE RAJYA SABHA ON THE
29TH JULY, 1988, TO STARRED
QUESTION 41 REGARDINIG INCREASE
IN THE AMOUNT OF SCHOLARSHIPS
AND STIPENDS TO SCHEDULED
CASTES AND SCHEDULED TRIBES
STUDENTS.

श्री सत्य प्रकाश मालवीय (उत्तर प्रदेश) उपसभाध्यक्ष महोदय, अभी इस सदन में 29 जलाई को श्री अजीत जोगी जी ने एक प्रश्न उठाया था कि जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति के छात्र हैं उन छात्रों को जो छात्र-वृत्ति या वृत्तिका की रकम की सहायता सरकार की ओर से दी जाती है वह बहुत ही कम है और उनका आशय यह था कि इसमें वृद्धि होनी चाहिए।

[श्री सत्य प्रकाश मालवीय]

मान्यवर, हमारा जब संविधान बन रहा था, उसमें इस बात की व्यवस्था की गई थी कि समाज के ऐसे वर्ग के लोग जो बहुत ही गरीब हैं, गरीब स्थिति में रहते हैं और जिनके घर का दातावरण भी ठीक नहीं, स्वच्छ नहीं रहता है उनके लिए कोई आरक्षण चलाना चाहिए और आज भी आरक्षण चल रहा है जो कि बहुत आवश्यक है और इसी दृष्टि की देखते हुए सरकार ने यह भी योजना बनाई कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के जो बच्चे हैं अगर वे अपने घर में रहेंगे तो ठीक प्रकार से शिक्षा वह प्राप्त नहीं कर सकेंगे और अगर उनको अच्छी प्रकार से शिक्षा प्राप्त करने की सुविधा होगी तो वे देश की भी सेवा कर सकेंगे और राष्ट्र के निर्माण के काम में लगेगे तभी हमारा देश प्रगति करेगा। यह बात निर्विवाद है कि जब हमारा संविधान बना था उसके हमारे संस्थापक या उसके निर्माता स्वयं डा० अम्बेडकर थे और इस देश में जब हमारा देश आजाद हुआ तो डा० अम्बेडकर इस देश के पहले विधि और न्याय मंत्री बने। वह बहुत ही विद्वान थे और उन्होंने देश को एक नई दिशा दी। इस बात की ओर मैं इसलिए जोर दे रहा हूँ कि समाज के इस तबके को यदि विशेष सहायता मिलेगी तो इस तबके के लोग आगे चलकर के राष्ट्र के निर्माण में बहुत योगदान दे सकते हैं और सन् 81 में मान्यवर, जब सेंसस हुआ था, मंदमशुमारी हुई थी तो उसके हिसाब से जो अनुसूचित जाति के लोग हैं उनकी संख्या 10 करोड़ पचास लाख थी और मेरे हिसाब से यह संख्या आज के दिन कम से कम 12 करोड़ ज़रूर होगी और इसी प्रकार जो अनुसूचित जनजाति के लोग हैं उनकी संख्या उस समय 5 करोड़ 38 लाख थी और मेरे हिसाब से उनकी संख्या आज कम से कम 7 करोड़ ज़रूर होगी। इस प्रकार से हमारे देश की जो पूरी जनसंख्या है उसकी आबादी का करीब करीब 1/5 हिस्सा इस वर्ग से आता है और सरकार ने इस सिलसिले में कुछ प्रावधान भी किए थे और सन् 78 में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए सरकार के प्रयास के द्वारा गृह मंत्रालय ने एक आयोग का भी गठन किया। पहली

बार 1978 में इस आयोग का गठन किया गया लेकिन आयोग को भी अपने कार्य में दिक्कतें आती हैं। इस सिलसिले में अभी आयोग ने अपनी सिफारिश दी है जिनकी चर्चा मैं बाद में करूंगा। लेकिन आयोग ने जो अपनी रिपोर्ट दी है गत वर्ष रिपोर्ट।

The Commission is greatly handicapped in performing its functions effectively because it does not enjoy constitutional status. This makes the Commission at times a helpless spectator of nonperformance and non-compliance. The situation needs to be remedied without further loss of time. It is, therefore, once more strongly urged that the Government, of India urgently consider giving this Commission constitutional status.

फिर कमीशन ने आगे भी लिखा है :

We have also not been given powers under the Commission of Inquiry Act, 1952. Therefore, powers- under the Commission of Inquiry Act, 1952, should also be conferred upon the Commission.

लेकिन यह सरकार उसकी उपेक्षा कर रही है। कमीशन जो सिफारिश कर रहा है, हर साल कमीशन अपनी रिपोर्ट देता है और हर साल कमीशन अपनी सिफारिश करता है कि हम को संवैधानिक अधिकार दिये जायें, हम को कस्टीडियनल स्टेटस दिया जाये, हमको कमीशन आफ इंक्वायरी एक्ट के तहत अधिकार दिये जायें जिससे हम ठीक से अपना काम कर सकें लेकिन इस सिलसिले में सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है। इसलिये मैं मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि 1985 से इस काम को जिसकी चर्चा हुई है उस मंत्रालय में संबद्ध किया था लेकिन 85 में इस सरकार ने एक नया मंत्रालय बनाया, कल्याण मंत्रालय के नाम से। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्गों का जो मामला है वर्तमान मंत्रालय से संबद्ध करता है। इस प्रश्न से और उत्तर से तीन प्रश्न पैदा होते हैं। एक सवाल यह है कि जो छात्रवृत्ति या

वृत्तिका स्कालरशिप मिलती है वह बहुत कम है और दूसरा प्रश्न यह है कि जो स्टूडेंट निश्चित हो चुका है उसमें वृद्धि की जानी चाहिये। हर साल जिस प्रकार से महंगाई बढ़ती है उसके हिसाब से उसमें वृद्धि की जानी चाहिये। क्योंकि जो रुपया है उसका अवमूल्यन हो रहा है। तीसरा प्रश्न यह पैदा होता है और मंत्री जी ने स्वयं उत्तर में स्वीकार किया था कि बदलते हुये उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर स्वतः संशोधन करना व्यावहारिक नहीं है। जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है अगर उस तरीके से स्कालरशिप या स्टोपेंड में वृद्धि करेंगे

कल्याण मंत्रालय की राज्य मंत्री (डा० राजेश कुमार बाजपेयी) : मैंने आटोमेटिक शब्द यूज किया था। आप जो कह रहे हैं उसमें और आटोमेटिक में फर्क हो जाता है।

श्री सत्य प्रकाश पालवीय : बदलते हुये उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर स्वतः संशोधन करना व्यावहारिक नहीं है। एग्जेंसी में तो ठीक है। लेकिन कमीशन ने यह रिक्मेंडेशन दी थी। जिस कमीशन की मैं चर्चा कर रहा हूँ। उसी कमीशन ने यह रिपोर्ट दी थी, पांचवी रिपोर्ट की और ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। 1982-83 की रिपोर्ट है। उसके पेज 10 पर 5.11 में कमीशन ने खुद संस्तुति की है।

The cost of living index has increased sharply during the last two years, eroding the purchasing power of rupee. An upward revision in the rates of scholarships and income limits is therefore urgently called for.

यह रिपोर्ट दी 1982-83 में और आज 88 हो गया है और परसों या नरसों मंत्री जी ने यह उत्तर दिया कि यह संभव नहीं है। तो किस बात के लिये यह कमीशन बैठाया गया। जब कमीशन के पास कोई अधिकार नहीं है, कमीशन ने जो संस्तुति दी है उनको आप सुनते नहीं हैं। समाज का जो सबसे बड़ा कमजोर वर्ग है उसके बारे में जो संस्तुति दी है सरकार उसकी सुनवाई नहीं करती है। कमीशन जो रुपये की

कीमत है उसकी भी चर्चा की है। 1960 में जो रुपये की कीमत थी 100 पैसे थी। 1980 में घट कर 25.64 हो गयी। 1981 में 22.68 और 1982 में 21.5 और 1983 में 18.80, 1984 में 17.36 और 1985 में 16.64 और 1986 दिसम्बर में 14.53, 1987 दिसम्बर में 13.70, 88 जनवरी में 13.28 और 88 मई में 12.97। जुलाई में और घट गयी होगी। जो आवश्यक चीजें हैं उनमें वृद्धि कम से कम 25 परसेंट से लेकर 40 परसेंट तक हो गयी है।

In 1986 it was revised. The Minister may correct me. Probably in the year 1986 it was revised.

हमारे पास 1986-87 का बायपक रिपाट है। इसमें स्कालरशिप और स्टूडेंट की चर्चा है। इसमें कहा गया है :

"Pre-matric scholarships for the children of those engaged in unclean occupations".

"The main object of the scheme is to provide good quality of education to the children of those engaged in unclean occupations, viz. scavenging, flaying and tanning by keeping them away from the unhygienic surroundings under which their parents live. The sweepers who have iraditional link with the job of scavenging have also been included under the scheme from the year 1986-87. The rates of scholarships have also been enhanced from Rs. 145 p.m. to Rs. 200 p.m. per student for classes VI to VIII and Rs. 250 p.m. per student for classes IX to X for meeting the expenditure..." Now mind "expenditure".

"... on tuition fees, cost of boarding, and lodging, cost of books etc. and other equipment and other incidental charges."

मैं यह जानना चाहता हूँ कि 200 रु. में और 250 रु. में क्या आज के दिन कोई अपनी समस्याओं को हल कर सकता है? कई स्थानों में तो उनको भकान भी किराये पर लेना पड़ता है। क्या कोई लड़का दो सौ रुपये में या ढाई सौ रुपये में शिक्षा प्राप्त कर सकता है?

[श्री संजय प्रकाश मालवीय]

किताबें खरीद सकता है, कपड़े बना सकता है, और साथ साथ इक्वीपमेंट भी खरीद सकता है ? अभी परसों की श्री कपिल वर्मा और श्रीमती वीणा वर्मा के पाठ्य पुस्तकों के मूल्यों में वृद्धि के संबंध में तारांकित प्रश्न संख्या 101, दिनांक 3-8-88 को सरकार ने इस बात को स्वीकार किया है कि टेस्ट बुक्स के मूल्यों में वृद्धि हुई है। सरकार ने इस बात को माना है कि पाठ्य पुस्तकों के मूल्य में 5 पैसे से 5 रु. 45 पैसे तक की श्रृंखला में वृद्धि हुई है। कुछ अन्य पाठ्य पुस्तकों के मूल्य में तो लगभग 10 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इसमें एक रूपता का भी प्रश्न है। इनमें यूनिकाइटी होनी चाहिये। मैं सरकार का ध्यान एकरूपता की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। मेरे पास छात्रवृत्ति के सिलसिले में कुछ आंकड़े हैं। विभिन्न राज्यों में जो आर्थिक सहायता दी जा रही है उसमें बहुत ज्यादा अन्तर है। गुजरात में स्कालरशिप 140 रु. से 240 रु. सालाना है और हरियाणा में 16 रु. प्रति माह है। हिमाचल प्रदेश में 8 रु. और 15 रु. प्रतिमाह है और उत्तर प्रदेश में जहां से माननीय मंत्री महोदया भी आती हैं वहां पर 33 रु. से 22 रु. प्रतिमाह है और वह भी ऐसे लोगों के बच्चों को मिलेगा जिनकी सालाना आय 6 हजार रुपये तक की है। केरल में 20 रु. से लेकर 80 रु. प्रतिमाह है। राज्य सरकारों को यह सहायता केन्द्रीय सरकार देती है। तो मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं। लेकिन इतना कहता हूं और तीन बातों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। एक तो यह कि जो कमीशन है उसको संवैधानिक मान्यता, कांस्टिट्यूशनल स्टेटस मिलना चाहिये। दूसरा, जो स्कालरशिप मिलता है उसमें एकरूपता हो। इसके लिये केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों को अनुरोध दे, उनकी आर्थिक सहायता करे ताकि वे कम से कम ठीक ढंग से अपनी शिक्षा प्राप्त कर सकें। तीसरा मेरा निवेदन यह है कि जो वर्तमान दरें हैं, स्टाइफंड में जो वृद्धि हुई है उसको शीघ्र अदा कर दें। इस सिलसिले में मैं इस बात का निवेदन करना चाहता हूं

कि इस बात का प्रावधान किया जाना चाहिये कि जैसे जैसे महंगाई की दरों में वृद्धि हो उसमें भी वृद्धि की जायेगी। जैसे सरकारी कर्मचारियों के लिये हैं, पब्लिक सेक्टर के कर्मचारियों के लिये हैं। उनकी महंगाई की दरों में हर तीन माह बाद वृद्धि होती है। जो गरीब बच्चा है उसका जीवन स्तर भी उठना चाहिये। यह सारा राष्ट्र चाहता है कि जो ऐसे बच्चे हैं उनकी आपको सहायता करनी चाहिये। इस प्रकार मेरे तीन सवाल हो गये हैं। पहला

"The question of enhancement of rates of maintenance allowance, upward revision, in the means test etc. had been engaging attention of the Government for quite some time and the high-level official committee under the Chairmanship of the Additional Secretary in the Ministry with representatives from the Ministries of Human Resource Development, Finance and Planning Commission set up to review the scheme has submitted its report. The recommendations made by the Committee are under the consideration of the Government."

Last year also the reply was 'the matter is under the consideration of the Government'. Now, the word 'consideration' is preceded by the word 'active'. Last year it was under consideration; this year it is under active consideration.

मेरा निवेदन यह है कि रिपोर्ट आ गई है इसलिये तुरन्त वृद्धि कराइये और इसकी घोषणा करिये और जो गरीब बच्चे के लोग हैं उनका जीवन स्तर सुधारने में सहायता करें। धन्यवाद।

डा० राजेन्द्र कुमारी दाजपेयी: माननीय उपसभाध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने पहली बात यह कही कि कमीशन की रिपोर्ट जो 1982-83, 1983-84 की है, जिसमें यह कहा गया है कि कमीशन की हेल्पलेस तरीके से रखा गया है, उसको पावर मिलनी चाहिये ताकि वह एफेक्टिव हो सके। इसके लिये जो कमीशन ने सजेस्ट किया है उसे मान लेना चाहिये। जैसा कि आप जानते हैं कांस्टिट्यूशन की धारा 3(38) के अनुसार स्टैट्यूटरी पावर कमी-

भर के पास है और दो सीनियर सेक्रेटरी उसके साथ लगाये गये हैं जोकि गैड्यूल्ड कास्ट और गैड्यूल्ड ट्राइब्स की प्राबलम को देखेंगे। एक सीनियर सेक्रेटरी पी. एम. ऑफिस में लगाया गया है, इम्प्लीमेंटेशन पार्ट को देखने के लिये। इस तरह कमीशन को नया रूप दिया गया है। कमीशन जब बनाया गया था, जिस रेजोल्यूशन के आधार पर बनाया गया था उसमें भी कमीशन अफ. इन्क्वायरी ऐक्ट को पावर उसको नहीं दी गई थी। बहुत सोच विचार करने के बाद, इन वर्षों में जिस तरह से काम हुआ उसको देखते हुए उस ऑफिस को सशक्त बनाया गया है। जैसे मैंने बताया दो सीनियर सेक्रेटरी यहां लगाये गये हैं और कमिशनर को पोस्ट जो पहले कमीशन के साथ मिला दी गई थी उसको हटा कर कमिशनर के ऑफिस को पूरी तरह से सशक्त किया गया है और इस कमीशन को नेशनल कमीशन की मंजा देकर इसके काम का अलग बंट-वारा कर दिया गया है। यह जरूरी नहीं है कि जितनी भी रेकमेंडेशन जिस रूप में कमीशन की तरफ से की जाती है उनको उसी रूप में गवर्नमेंट स्वीकार करेगी। गवर्नमेंट जो प्रैक्टिकल साइड है, जो व्यवहारिता की दृष्टि से संभव है उसको कर सकती है। जैसा कि मैंने उस दिन जवाब देते हुए कहा था कि यह सही है कि जो कास्ट अफ. लिविंग बढ़ रही है, जो कीमतें बढ़ रही हैं समय-समय पर इन कीमतों का भी ध्यान रखा जाता है। लेकिन जब कीमतों का ध्यान रखते हुए रिवीजन किया जाता है तो आटोमेटिक रिवीजन का कहीं पर प्रावधान नहीं रखा जाता है। जब भी रिवीजन किया जाता है इस बात का एग्जें देख कर कि कितना ज्यादा बढ़ाया जा सकता है और साथ-साथ कठिनाइयां भी कम हो। हरिजन छात्र के हर नेवल पर प्रि. मेट्रिक के जो स्कालरशिप हैं वह तो स्टेट गवर्नमेंट्स देखती हैं लेकिन पोस्ट मेट्रिक जो स्कालरशिप आपन एंडिड स्कीम है। जितने लाख बच्चे पिछले साल पा चुके हैं स्कालरशिप उसके बाद इस साल और जितने लड़के ऐड होंगे उनकी जिम्मेदारी सेंट्रल गवर्नमेंट पर होनी है और वह हम स्टेट

गवर्नमेंट को दे देते हैं। पिछले वर्ष 10 लाख के करीब छात्र थे इस बार अगर डेड लाख और बढ़ गये तो डेढ़ लाख के लिए जिन स्टेट्स में जितनी संख्या में जिन प्रोपोरशन में स्टूडेंट्स बड़े हैं उन स्टेट्स को उसी अनुपात में स्कालरशिप्स की रकम दी जाती है। इस तरह से हमारे पास आंकड़े हैं वह यह बताते हैं कि यह जो वृद्धि होती गई है उस वृद्धि में संख्या आज बढ़कर के इस वर्ष 12 लाख तक पहुंचने वाली है। यह पोस्ट मेट्रिक की है। जहां तक माननीय सदस्य ने कहा कि पहले भी पिछले वर्ष कहा गया था अंडर कंसीडरेशन और इस बार कहा गया एक्टिव कंसीडरेशन, मैं माननीय सदस्य से कहना चाहती हूं कि हमारी जो हाई लेवल कमेटी बनाई गई थी जिनमें कि मैम्बर्स एडिशनल सेक्रेटरी प्लानिंग कमीशन के थे, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के भी थे, फाइनेंस मिनिस्ट्री के थे उन्होंने दो अप्रैल को 1986 को मीटिंग रखी थी पोस्ट मेट्रिक स्कालरशिप के मामले को देख कर गैड्यूल्ड कास्ट्स और गैड्यूल्ड ट्राइब्स के मामले में कमेटी ने अपनी मीटिंग करने के बाद 10 मार्च, 1987 को इसकी आखिरी मीटिंग हुई और पूरी डिटेल् में यह कमेटी गई उसके और बाद जो भी कमेटी की रिपोर्ट थी उनमें से कुछ चीजों को हमने स्वीकार कर लिया जो कि हमारे डिपार्टमेंट के लिए वेलफेयर मिनिस्ट्री जिसको कर सकती थी उसको स्वीकार करके जैसे कि किस तरह से जल्दी देना चाहिये, डिले नहीं करनी चाहिये उन सबके लिए गाइडलाइंस हमने स्टेट्स को भेज दी। जहां फाइनेंस का सवाल था अधिक रुपय देने की बात थी उसके लिए प्लानिंग कमीशन को लिखा गया उनसे बातचीत चलती रही और अभी जून के महीने में प्लानिंग कमीशन ने कहा है कि कितना बढ़ा सकते हैं। इसमें दो प्रश्न थे एक तो स्कालरशिप की रकम कितनी बढ़ाई गई जैने आपने कहा कि यह कम है। हमारे पास जो आंकड़े हैं मेडिकल इंजीनियरिंग में प्रेजेंट रेट 185 होस्टेलियज के लिए है और डेज स्कालरज के लिए 100 रुपये है हमने इन दोनों में वृद्धि करने की बात की है। इसी तरह से इंडियन मेडिसिन डिप्लोमा

[डा० राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी]

इन इंजीनियरिंग जो बी ग्रुप है इसमें प्रेजेंट रेट होस्टेलियर्स के लिए 125 है और डेज स्कालर्स के लिए 100 रुपये हैं। सी ग्रुप में पोस्ट प्रेजुयेशन इन आर्ट साइसेज इत्यादि में 125 रुपये होस्टेलियर्स के लिए और 100 रुपये डेज स्कालर्स के लिए है। डी ग्रुप जनरल डिग्री कोर्सेज में 115 रुपया है, डे स्कालर्स के लिए 70 रुपया है। ई ग्रुप 10+2 क्लासेज में 75 रुपया होस्टेलर्स के लिए और 50 रुपया डे स्कालर्स के लिए है। जो रिपोर्ट आफ हाई लेवल आफिशियल कमेटी आन पोस्ट मैट्रिक स्कालरशिप स्क्रीम फार शिड्यूल्ड कास्ट एण्ड शिड्यूल्ड ट्राइब्स है इसमें आपने जो सुझाव दिये हैं उन सुझावों को देखते हुए इस बात का ध्यान रखा है कि आज कीमतें बढ़ गई हैं और जो अभी तक प्रेजेंट रेट था वह कम था अतः इसको बढ़ाया जाये। साथ ही साथ पेरेंट्स का भी जो इन्कम ग्रुप था उसको भी बढ़ाने के लिए सुझाव दिया गया है। कोशिश इस बात की है कि जो इन्कम टैक्स पेइंग ग्रुप की जो सीलिंग 20 हजार, 24 हजार या कुछ इस तरह से पड़ती है उस हद तक उसको पहुंचाया जा सके, 12 हजार की जगह ऊपर पहुंचाया जा सके। अभी हम इंतजार कर रहे हैं कि कंस हद तक प्लानिंग कमीशन हमें इसकी मंजूरी देता है। इसके पहले अभी मैं इतना ही कह सकती हूँ कि एक्टिव कंसीडरेशन जब मैं कहती हूँ तो इसके माने हैं कि काफी हद तक हम जो बढ़ाना चाहते हैं उसके लिए हमारी कोशिश जारी है और हम आशावान हैं कि जो प्लानिंग कमीशन हमें मंजूरी देगा उससे काफी सक्सेसफुल इन्क्रीज इन मदों में की जा सकेगी, हर लेवल पर ए, बी, सी, डी और ई, पाँचों ग्रुपों में ही वृद्धि की जा सकेगी। केवल यह नहीं कि हम लोगों ने इसे आपको कहा ही है लेकिन इसके लिए हमारा पूरा प्रयत्न जारी है। अभी तक जैसे ग्रुप ए में इंजीनियरिंग, मेडिकल, बी० एस० सी० एग्जीक्यूटिव और बी.बी.एस.सी. में 12 हजार पर एनम प्रेजेंट है, ग्रुप बी एण्ड ई में 9 हजार पर एनम का है तो इसको

बढ़ाने की बात रखी गयी और और हमें अग्ना है कि इसमें हमें सफलता मिलेगी क्योंकि एक रोजनेबुल तरीके से सरकार का व्यू पॉइंट है कि जो हरिजन और आदिवासी छात्र हैं जो होस्टल में हैं जो डे स्कालर्स हैं इनको इतनी मदद दी जाये जिससे कि उनकी पढ़ाई अच्छी तरह से चल सके।

माननीय सदस्य ने प्री मैट्रिक की बात की है। प्री-मैट्रिक स्कालरशिप तो पूरी तरह से स्टेट गवर्नमेंट देती है। स्कालरशिप का रेट हर एक स्टेट में अलग-अलग है जैसा कि आपने पढ़ कर सुनाया। कुछ स्टेट्स तो क्लास 1 से 5 तक कुछ देती हैं और कुछ स्टेट्स में वह नहीं दिया जाता है। आन्ध्र प्रदेश, केरल, बिहार, हिमाचल प्रदेश, जे एण्ड के., उत्तर प्रदेश में तो क्लास 1 से 5 तक के लिये देते हैं। लेकिन बाकी स्टेट्स में थर्ड से एट्थ तक देते हैं, कहीं क्लास 6 से 8 तक देते हैं, कहीं क्लास 9 से 10 तक देते हैं। इनमें अलग-अलग रेट्स हैं। आन्ध्र प्रदेश में थर्ड से एट्थ तक एस. सी. के लिये 85 रुपये और एस.टी. के लिये 50 रुपये पर एनम है। बहुत कम है। मैं इसको मानती हूँ कि बहुत कम है। लेकिन बाकी इनकी फीस इनसे नहीं ली जाती है। कुछ जगह पर सब लड़कों को देते हैं। कुछ स्टेट्स कुछ रेस्ट्रिक्टेड भी देते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में क्लासवाइज है। हर एक क्लास में दो दो लड़कों या लड़कियों को देते हैं। इसमें यह भी है कि एक परिवार के दो बच्चे पढ़ते हैं, तो दो से ज्यादा को नहीं देंगे। कुछ लोगों ने ये भी रेस्ट्रिक्शंस लगा रखे हैं अतः इन सारी चीजों पर इस कमेटी ने गौर किया है और गौर करने के बाद अपनी रिक्मेंडेशन भेजी है। वैसे अभी जो एक्सपेंडीचर दिया जा रहा है, जो पोस्ट मैट्रिक स्कालरशिप अभी तक दिया है 1985-86 में 9,777 लाख था, इसमें 9,18,930 स्टूडेंट्स को यह मिला है, 1986-87 में 11,351 लाख रुपये यह मिला है। 10,72,264 लड़कों को, 1987-88 में रुपये 11,764 लाख मिले जो कि लड़के हुए 11,97,378 और जैसा मैंने

कहा कि यह ओपन एंडेड स्कीम है और यह 1988-89 में और बढ़ जायेगी। हर साल में बढ़ता चला जाता है। आपने जो प्रश्न उठाया कि इतने लोगों को मिलता है, आगे के लिये मैं इतना ही कह सकती हूँ कि गवर्नमेंट ने इस बात का पूरा ध्यान रखा है कि इसको बढ़ाया जाये और बढ़ाने के लिये हम प्रयत्नशील भी हैं और इसका रिइन्वर्समेंट जल्दी ही दिया जा सके, इसमें भी काफी सुधार हुआ है।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : वृद्धि के संबंध में कोई निश्चित अवधि आप बताइएगा।

डा. राजेन्द्र कुमारी वाजपेयी : जैसे मैंने बताया कि हमें पूरी आशा है, इस अकैडेमिक ईयर में हम निश्चित तारीख तो बता नहीं सकते, लेकिन इस अकैडेमिक ईयर में यह वृद्धि हम डिकलेयर कर सकेंगे और दे भी सकेंगे।

उप सभाध्यक्ष (श्री बी० सत्यनारायण रेड्डी) : श्री अजीत जोगी, जरा संक्षेप में बोलिये।

श्री अजीत जोगी (मध्य प्रदेश) : उप सभाध्यक्ष महोदय, मैंने जो 29 तारीख को प्रश्न क्रमांक 41 इस संबंध में किया था, उसका संबंध इस राष्ट्र की लगभग 20 करोड़ आबादी से है जो कि आदिवासियों और अनुसूचित जातियों की है।

डा. राजेन्द्र कुमारी वाजपेयी : परन्तु साढ़े 22 करोड़ की है।

श्री अजीत जोगी : मैंने 1981 की जनगणना के आधार पर अनुमानित जनगणना कही है। यह प्रश्न इसलिये महत्वपूर्ण है, क्योंकि न केवल स्वतंत्रता के बाद किन्तु स्वतंत्रता के पहले भी जब राष्ट्रीयता महात्मा गांधी के नेतृत्व में स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था तब से ही इस राष्ट्र ने यह प्रतिबद्धता प्रकट की थी कि यह वर्ग जो हजारों वर्ष से पिछड़ा गया है, अनन्य कारणों से उसे दूसरों के समक्ष लाया जायेगा और यह तभी

हो सकता है, जबकि उन्हें शिक्षित किया जाये। शिक्षा के लिये जो प्रयास किया जा रहा है, वह छात्रवृत्ति और वृत्तिका के माध्यम से किया जा रहा है। मैं संक्षेप में तीन या चार बिन्दु माननीय मंत्री महोदय के समक्ष रखना चाहता हूँ। पहला बिन्दु जो मेरे माननीय मित्र मालवीय जी ने विस्तार से समक्ष रखा है कि जो शिष्यवृत्ति और छात्रवृत्ति आज की जा रही है, वह बहुत कम है। मैं तो यह कहूँगा कि जो कुछ आज दिया जा रहा है वह इस तरह है कि जैसे हम गज हाथ से दें और दूसरे हाथ से ले लें। वह इतना कम है कि किसी भी आदिवासी या हरिजन छात्र के लिये उतनी छात्रवृत्ति या शिष्यवृत्ति में अपनी शिक्षा प्राप्त करना असंभव है। मेरे पास सब प्रदेशों के आंकड़े तो नहीं हैं, मध्य प्रदेश के आंकड़े मैं देख रहा था। उदाहरण के लिए व्यावसायिक पाठ्यक्रम के लिये मध्य प्रदेश में होस्टल में रहने वाले छात्रों को 170 रुपये और होस्टल में न रहने वाले छात्रों को 110 रुपये प्रतिमाह दिये जाते हैं। उसी तरह से अन्य कलेजों में पढ़ने वाले छात्रों को 120 रुपये होस्टल में रहने वाले छात्रों को और 80 रुपये जो होस्टल में नहीं रहने, उन्हें दिये जाते हैं। ऐसे ही आंकड़े अन्य पाठ्यक्रमों के लिये हैं, अन्य कलाओं के लिये हैं। मैं भोपाल मेट्रिकल कालेज में अभी एक माह पहले ही गया था, वहाँ भी छात्रों से चर्चा की और वहाँ के डीन से भी बात की, तो पता चला कि वहाँ आजकल जो छात्रावास में छात्र रह रहे हैं, उनके मैस को बिल ही तीन सौ रुपये से साढ़े तीन सौ रुपये प्रति माह आता है, और जबकि हम वहाँ के छात्रों का 120 रुपये प्रतिमाह कुल वजीफा, कुल स्कालरशिप दे रहे हैं। इसका अर्थ तो यह हुआ कि जो कुछ हम दे रहे हैं, उसमें तो वह बिल्कुल भी अपनी शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकता है। उसके पास एक या दो विकल्प ही रहते हैं। पहला विकल्प तो यह कि वह अपनी पढ़ाई छोड़ दें, दूसरा विकल्प यह कि वह अपनी पढ़ाई के लिए कर्ज ले, तीसरा विकल्प यह कि अपनी पढ़ाई के लिये अपने माता-पिता को भरोसे में दे, अपने माता-पिता के भरोसे में

[श्री अजीत जोगी]

या अपने माता-पिता के जेवर, वर्तन या जो कुछ भी घर में है, उन्हें बेचे और चौथा विकल्प यह है कि जो अधिकांश छात्र इन दिनों, जिसका पालन कर रहे हैं कि वे होस्टल में ही नहीं रहते, वह कहीं झुग्गी-झोंपड़ी में एक छोटा सा कमरा जो कम खर्च पर मिल जाता है, लेकर रहते हैं, वहाँ स्वयं अपना भोजन बनाते हैं। अब मेडिकल, इंजीनियरिंग कालेज में पढ़ने वाला छात्र, जो अपना स्वयं भोजन बनाता है, तो भोजन बनाने में, बाजार जाने में, कुछ सामान लाने में, उसके रोज के चार-पांच घंटे खराब हो जाते हैं और कठिन पाठ्यक्रम है, मेडिकल का, इंजीनियरिंग का, तो वह किस तरह से उत्तीर्ण होगा। तब हम कहते हैं कि छात्रावसी और हरिजन छात्र दूसरों के समकक्ष नहीं हैं, पांच साल के पाठ्यक्रम को पांच साल में पूरा नहीं कर पाता। यह किस तरह से संभव है, यदि हम इतना कम स्कालरशिप इतना कम वजीफा उनको देंगे।

उपसभाध्यक्ष महोदय, मुझे यह देखकर बड़ा दुख हो रहा है कि यह स्कालरशिप, यह वजीफा बढ़ाने का प्रश्न शासन के पास सन् 1981 से विचाराधीन है, सात-आठ वर्ष हो गये हैं और इसमें निर्णय नहीं लिया जा सका है। माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में यह बताया था कि इन्होंने अपने विभाग में जो उच्चस्तरीय कमेटी बनाई, उसकी रिपोर्ट इन्हें 31 मार्च, 1987 को मंत्रालय को प्राप्त हो गयी है। उसको भी प्राप्त हुए आज डेढ़ वर्ष हो गये हैं और कोई अन्तिम निर्णय उसे बढ़ाने के संबंध में नहीं लिया जा सक रहा है। यह स्थिति बहुत ही दयनीय है। इन सात-आठ वर्षों में यदि हम उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, प्राइस-इण्डेक्स को देखें तो रुपये की कीमत लगभग दस पैसे हो गई है, औसतन अर्थात् जो रेट सन् 1981 में तय किये गये थे, वह आज के मूल्य के अनुसार 1/10 है। उस समय यदि हमने 170-रुपये देने का सोचा था, तो आज उसकी कीमत केवल 17 रुपये है। इतनी दयनीय हालत इन छात्र-छात्राओं

की है और यदि हम यह मानकर चल रहे हैं, जैसा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था, जैसा हमारी माननीय नेता इन्दिरा गांधी कहती थीं और आज हमारे प्रधान मंत्री माननीय राजीव गांधी कहते हैं कि इन वर्गों को दूसरों के समकक्ष लाना है, दूसरों की बराबरी पर उनको खड़ा करना है, यह इस तरह से उनको स्कालरशिप देकर, इस तरह से उनको शिक्षा-वृत्ति देकर या इस तरह से छात्रवृत्ति सहूलियत देकर इसको कभी भी पूरा नहीं किया जा सकता।

यह बात विचारणीय है कि इसमें बहुत अधिक पैसा नहीं लगेगा। ... (तभीय की घंटी)... मैंने तो उपसभाध्यक्ष महोदय, अभी प्रारम्भ ही किया है।

उपसभाध्यक्ष (श्री बी. सत्यनारायण रेड्डी) : यह आधे घंटे की चर्चा है और आधा घंटा हो गया है।

श्री अजीत जोगी : प्रश्न मेरा ही था, सर।

उपसभाध्यक्ष (श्री बी. सत्यनारायण रेड्डी) : ठीक है, संक्षेप में कहिये। सात-आठ मिनट आपके हो गये हैं।

श्री अजीत जोगी : उपसभाध्यक्ष महोदय, मैंने केवल मध्य प्रदेश के जो छात्र अभी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उनके विषय में अभी एक तरफ गणना की थी, कि कितनी अतिरिक्त राशि की आवश्यकता होगी। यदि हम इसे कोई अच्छी राशि तक बढ़ा दें, जैसे 170 रुपये मेडिकल या इंजीनियरिंग कालेज के छात्रों को दे रहे हैं, उसे यदि हम 500/- रुपये भी कर दें, तो कुल कितनी राशि की आवश्यकता होगी। मध्य प्रदेश में हरिजनों और आदिवासियों की बहुत बड़ी आबादी है। पूरे देश के लिये अगर हम कोई रफ गणना करें, तो 10-12 करोड़ से अधिक की राशि की आवश्यकता नहीं होगी।

उपसभाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि बहुत सी हमारी ऐसी योजनाएँ

हैं, जिनका कोई विशेष लाभ हमारे राष्ट्र की जनता को नहीं मिल रहा है सामूहिक-नान के लिये हम दो करोड़ रुपये प्रति वर्ष व्यय कर रहे हैं, प्राइम-शिक्षा के लिये हम करीब सौ, डेढ़ सौ करोड़ रुपये प्रतिवर्ष व्यय कर रहे हैं। इनमें से यदि कुछ राशि निकालकर इस अर्थ के लिये, इस काम के लिये दे दी जायेगी, तो उसका बहुत ही बड़ा फायदा हमारे इन वर्ग के लोगों को होगा। उपसभाध्यक्ष महोदय, एक और मुख्य बिन्दु आपके माध्यम से मैं मंत्री महोदय के ध्यान में लाना चाहता हूँ कि एक ओर जहाँ यह बजोपा बहुत कम है, दूसरी ओर यह बजोपा, शिष्य वृत्ति या छात्रवृत्ति जो दी जाती है, उसका देश के किसी भी हिस्से में, कभी भी समय पर भुगतान नहीं होता है। महोदय, वैसे नियम तो यह है कि जुलाई में जब स्कूल और कालेज खुलते हैं, उस समय होस्टल चालू हो जाने चाहिये, स्कालरशिप की पहली किश्त दे दी जानी चाहिये। परन्तु अपने अनुभव के आधार पर जो कुछ मैंने राष्ट्र के सभी प्रान्तों में देखा है, उसके आधार पर मैं कह सकता हूँ कि पहला भुगतान दिसम्बर महीने के पहले नहीं होता अर्थात् लगभग 5-6 महीने हमारे आदिवासी, हरिजन छात्र बिना किसी मदद के पढ़ाई करते हैं। यदि वह इतने सक्षम होते, यदि उनके माता-पिता इतने धनवान होते कि छः माह उसको बिठाकर बिना सरकारी मदद के पढ़ा सकते तो फिर इस सरकारी मदद की जरूरत ही क्या थी? इस तरह से एक ओर जहाँ हम बहुत कम राशि देते हैं, वहीं दूसरी ओर जो कुछ देते भी हैं, वह बहुत रुला रुला कर देते हैं। कहीं दिसम्बर में, कहीं मार्च में, मई-जून में और कहीं-कहीं तो ऐसे प्रकरण सामने आये हैं, कि पूरा वर्ष ही बीत गया फिर भी उसका भुगतान नहीं हुआ। इसलिये मैं मंत्री महोदय से और हमारी केन्द्रीय सरकार से यह निवेदन करूँगा कि राज्य सरकारों को यह स्पष्ट निर्देश दिये जायें कि बजोपा का भुगतान समय पर

हो। यदि आवश्यक हो, तो उसके लिये अधिकार विकेंद्रित किये जाने चाहिये। शाला या महाविद्यालय के जो प्रमुख हैं, उनको अधिकार दिये जाने चाहिये कि वे ही स्वीकृति प्रदान कर सकें। जहाँ बैंक की शाखाओं के माध्यम से भुगतान होता है, जो बैंक की शाखा स्कूल या कालेज के पास हो वहाँ पैसा जमा हो जाना चाहिये। महोदय, बजट जिला स्तर पर बहुत देरी से पहुँचता है, यह भी अप्रैल के माह में ही पहुँच जाना चाहिये। जहाँ बजट नहीं पहुँचता है, वहाँ सक्षम अधिकारियों को अग्रिम आहरण करने के अधिकार दिये जाने चाहिये।

महोदय, आप दो-तीन बार घंटी बजा चुके हैं, इसलिये मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे राष्ट्र ने नयी शिक्षा नीति के माध्यम से एक संकल्प किया है, माननीय राजीव जी ने यह संकल्प लिया है कि इस देश में शत-प्रतिशत साक्षरता 2000 ए.डी. तक आ जायेगी। लेकिन महोदय, इन चालीस वर्षों में और मैं हमारे मध्य प्रदेश के आदिवासी जिलों के बारे में कहना चाहता हूँ कि अभी भी करीब 90 विकास खण्ड ऐसे हैं, जिनमें केवल 5 प्रतिशत साक्षरता है, यानी 40 वर्षों में हम सौ में से पाँच लोगों को साक्षर कर पाये हैं। तो जो गति रही है, उस गति से हमको लोगों को साक्षर बनाने में 8 शताब्दियों यानी आठ सौ वर्ष लगेंगे। यह स्थिति अच्छी नहीं कही जा सकती है। यदि इन्हें हमें तेजी से दूसरों के समकक्ष लाना है तो ये बजोपा हमें बढ़ाने होंगे समय पर देने होंगे और तभी यह लक्ष्य हम प्राप्त कर सकते हैं।

महोदय, अन्तिम बात मैं यह कहना चाहूँगा कि मंत्री जी ने उल्लेख किया है कि इन बजोपा के लिये आय का प्रतिबन्ध लगाया गया है। मैं आय के प्रतिबन्ध के विषय में केवल दो ही बातें कहना चाहूँगा। जहाँ तक यह आय का प्रतिबन्ध है और आय के प्रमाणपत्र

[श्री अजीत जोगी]

जो राजस्व अधिकारियों द्वारा दिये जाते हैं, उसमें जिस व्यक्ति की आय सबसे ज्यादा होती है, वह सबसे पहले और आसानी से कम आय का प्रमाणपत्र ले लेता है, लेकिन जो गरीब होता है, जिसकी आय वास्तव में कम होती है, वह दर-दर भटकता है। दो-दो, तीन-तीन और चार-चार महीने तक भटकता रहता है। महोदय, हमारे देश के सभी आदिवासी, हरिजन लोग गरीब हैं, इक्का-दुक्का ऐसे प्रकरण होंगे, जहाँ कि वे गरीब नहीं हैं। तो सब लोगों पर आमदनी का यह प्रतिबन्ध लगाकर कि उनको राजस्व अधिकारी से प्रमाणपत्र लेना है, हम इन आदिवासी, हरिजन छात्रों और उनके पालकों को दो-तीन महीने हर वर्ष भटकाते हैं। इसलिये मेरा यह अनुरोध है कि आमदनी का प्रतिबन्ध बड़ा ही काउन्टर प्रोडक्टिव है, इसे समाप्त कर देना चाहिये और अधिक अच्छा तो यह हो कि हर छात्र को उसके प्रवेश लेते ही, एक आयडेंटिटी कार्ड, जिसे हम पहचान-पत्र न कहकर अधिकार पत्र कहें, वह दे देना चाहिये, ताकि उसे अपनी जाति का प्रमाणपत्र लेने के लिये जो भटकना पड़ता है, उससे वह बच जाये और न बार-बार उसे आमदनी का प्रमाण-पत्र लेना पड़े और तभी हम उनको दूसरों की बराबरी पर ला सकते हैं।

अन्त में, मैं उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के विषय में अवश्य कहना चाहूँगा, क्योंकि मेरे प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री जी ने यह कहा था कि इस वजीफे को भविष्य में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से जोड़ना संभव नहीं होगा, यह व्यवहारिक नहीं है मैं यह कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार इस बार रोविजन के लिये आठ साल लग गये हैं और हम अभी तक रोविजन नहीं कर पाये हैं बड़ा नहीं पाये हैं, तो अगली बार अब, हम बढ़ाना चाहेंगे, तो फिर से 8-10 साल लगेंगे। इसलिये जैसे हम शासकीय कर्मचारियों के लिये, शासकीय अधिकारियों के लिये करते हैं, कि उनके

जो वेतन-भत्ते होते हैं और जैसे-जैसे मंहगाई बढ़ती जाती है, वैसे-वैसे उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर वे बढ़ते जाते हैं। वैसे ही थोड़ी सी जनसंख्या है, इन आदिवासी और हरिजन छात्रों की, उनके लिये भी वैसे ही करना चाहिये। स्वयंमेव की बात नहीं है, हर वर्ष एक निश्चित तारीख तय कर दी जाये, किस तारीख को हमारे देश में स्कूल और कालेज खुलते हैं, उस तारीख के आधार पर जो भी मूल्य वृद्धि हुई हो, उसकी वृद्धि वजीफे और स्कालरशिप में और इस शिष्यवृत्ति में अपने आप हो जानी चाहिये।
... (समय की घंटी) ...

उपसभाध्यक्ष (श्री बी० सत्यनारायण रेड्डी) : हो गया, बहुत समय लिया आपने।

श्री अजीत जोगी : अन्त में मैं इस अनुरोध के साथ कि जो रोविजन लिया जा रहा है, उसको शीघ्र किया जाये, अपनी बात समाप्त करता हूँ।

उपसभाध्यक्ष (श्री बी० सत्यनारायण रेड्डी) : श्री हरि सिंह जी सभी बातें आ गई हैं, आप सिर्फ दो मिनट के अन्दर खत्म कीजिये।

श्री हरि सिंह (उत्तर प्रदेश) : मैं, उपसभाध्यक्ष जी, सिर्फ दो बातें करना चाहता हूँ। सरकार के प्रयत्नों से हरिजनों में भी बड़े पैमाने पर एजुकेशन शुरू हो गई है और हरिजन-आदिवासी लोग शिक्षा में बढ़ रहे हैं। लेकिन बहुत से घर ऐसे होते हैं कि जिनके पास कोई आमदनी का, पैसे का सहारा नहीं होता, सिर्फ वजीफे के सहारे और आर्थिक सहायता, किताबों के सहारे वे पढ़ते चले जाते हैं। मंहगाई बढ़ गई है, बड़े सहरों में उनको पढ़ना पड़ता है, उसके पास कोई और पैसा कमाने का साधन नहीं होता और आज की परिस्थितियों को देखते हुए उनको वजीफे का बढ़ावा जाना

बहुत आवश्यक है और वह ऐसा सवाल है, जिस पर बहुत दूर सोचने-विचारने की जरूरत नहीं है और डा० साहब तो, खुद हरिजनों के लिये बड़ी सहानुभूति रखती हैं। मुझ उम्मीद है कि वे उनके बजोके को जरूर बढ़ा देंगे।

उपसभाध्यक्ष (श्री बी० सत्यनारायण रेड्डी) : मंत्री जी।

डा० राजेन्द्र कुमारी वाजपेयी : वजीफा बढ़ाया जायेगा और मैं इस समय इस स्थिति में नहीं हूँ कि कितना बढ़ाया जायेगा, यह बता सकूँ, लेकिन यह बढ़ाया जायेगा और इन्कम सीलिंग भी बढ़ाई जायेगी और जो रितर्व स्कालरशिप है, उनके लिये तो इन्कम सीलिंग रखी भी नहीं गई है। इस समय तक 45 हजार 760 विद्यार्थी इस पोस्ट मैट्रिक क्लासिज में, बड़ी क्लासिज में बी०एस०सी० और मैडिकल इंजीनियरिंग आदि पढ़ रहे हैं। जो माननीय सदस्य ने कहा है कि समय पर नहीं दिया जाता है और इसको डी-सेंट्रलाइज करने की बात, तो 30 अक्टूबर, 1987 को हमारी तरफ से, बैलकेयर मिनिस्ट्री की तरफ से सारे स्टेट्स को इस प्रकार का सर्कुलर भेज दिया गया है, जिसमें कहा कहा है :

"The Scheme should be decentralised at the institutional level for early distribution of scholarships, and an advance amount may be placed at the disposal of heads of educational institutions during July-August based on the expenditure incurred during the previous years. The balance amount should be released to the institutions after the details of scholarships disbursed are received from the colleges. The institution should call for the applications immediately after the admissions are over and it should ensure that scholarships are awarded within the 30 days on receipt of the applications."

अब गवर्नमेंट की तरफ से पूरी कोशिश है कि इसे डी-सेंट्रलाइज करके और जल्दी से जल्दी मन्थली बेसिज पर इसको

किया जाय। आखिर म, इयर एण्ड म दिसम्बर में या मार्च में देने से विद्यार्थियों को लाभ नहीं हो सकता है और इसी कारण यह निर्णय लिया गया है। इस बार जो हमारी नई एजुकेशन पालिसी है उसके अन्तर्गत भी एजुकेशन टैकन प्लान में इस बात पर विशेष जोर दिया गया है और हर एक स्टेट को इस तरह की ताईद की गई है कि वह डी-सेंट्रलाइज करके और समय पर इसको कराएँ आसाम, आन्ध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल इन्होंने तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, त्रिपुरा, तमिलनाडु, चंडीगढ़ पॉइन्टों ने भी डिसेंट्रलाइज इंस्टीटयूशन लेवल पर कर दिया है, जिससे कि समय पर उनको मिल सके। इसके बावजूद भी कहीं कहीं से शिकायतें आती हैं। इस पर हमने जो गाइडलाइन्स भेजी हैं और जो अक्टूबर में करना है, हर स्टेट को हमारी अज्ञा है इससे आज जो कठिनाइयाँ हैं उनको दूर किया जा सकेगा।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : बढ़ाने के बारे में क्या कहना है ?

डा० राजेन्द्र कुमारी वाजपेयी : जो वृद्धि हो रही है, इनका भी ख्याल रखा गया है। केवल इतना ही है कि जैसे कर्मचारियों को रेप्युनरेशन दिया जाता है, आटोमैटिक डी० ए० भत्ता आदि उस तरह से यह नहीं है। यह तो एक असिस्टेंस है, जिससे विद्यार्थियों को सहायित हो। जिनके पैरेंट्स की इन्कम कम है, उनके बच्चों को असिस्टेंस के रूप में यह दिया जाता है।

PALLING ATTENTION TO A MATTE OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE—
contd.

Devastating floods in Different parts of th country and the steps taken by Governmen in this regards.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI B SATYANARAYAN REDDY): Now, w shall resume discussion On the Calling At tention. Shri Narreddy Thulasi Reddy